(10)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 446] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 12, 2009/श्रावण 21, 1931
No. 446] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 12, 2009/SRAVANA 21, 1931

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2009

सा.का.नि. 568(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल मनोतकनीकी सेल (समूह "क" और समूह "ख" पदों पर) भर्ती नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल मनोतकनीकी सेल (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अनुसूची का संशोधन.—भारतीय रेल मनोतकनीकी सेल (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 2006 की अनुसूची में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (मनोविज्ञान) के पद से संबंधित क्र. सं. 4 के स्तम्भ 8 में उप-शीर्ष "आवश्यक" और "वांछनीय" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात् :—

"**आवश्यक :**

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य;

(ii) मनोविज्ञान या बुद्धि, अभिक्षमता और व्यक्तित्व परीक्षणों के प्रशासन का दो वर्ष का व्यवहारिक अनुभव जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार या अनुसंधान संस्थानों के मानव संसाधन विभागों या अर्ध-सरकारी संगठनों या शैक्षणिक संस्थानों में कार्य आबंटन तथा नियोजन के लिए अभ्यर्थियों को व्यावसायिक परामर्श देना तथा उनके चयन का अनुभव भी शामिल है ।

वांछनीय :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या अनुसंधान संस्थानों के मानव संसाधन विभागों या अर्ध-सरकारी संगठनों या शैक्षणिक संस्थानों में दुर्घटना अनुसंधान में 2 वर्ष का अनुभव ।"

[फा. सं. 2007/ई (जी आर) 1/25/1-आर आर]

जसवंत राय, कार्यपालक निदेशक, स्था. (रा. संवर्ग)

पाद टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 643(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2006 ।

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2009

G.S.R. 568(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways Psycho-Technical Cell (Group "A" and Group "B" posts) Recruitment Rules, 2006, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indian Railways Psycho-Technical Cell (Group "A" and Group "B" posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule.—In the Schedule to the Indian Railways Psycho-Technical Cell (Group "A" and Group "B" posts) Recruitment Rules, 2006, in serial No. 4 relating to the post of Junior Scientific Officer (Psychology), in column 8, for the sub-heading "Essential" and "Desirable" and entries relating thereto, the following shall be substituted namely :—

"Essential :

(i) Master's degree in Psychology from a recognised University or equivalent;

(ii) Two years practical experience in psychology or administration of intelligence aptitude and personality test including experience in occupational counselling and selection of candidates for job allocation and placement in Central Government or State Governments or Human Resource Departments of Research Institutions or Semi-Government Organisations or Academic Institutions.

Desirable :

Two years experience in accident research in Central Government or State Governments or Human Resource Departments of Research Institutions or Semi-Government Organisations or Academic Institutions."

[F. No. 2007/E (GR) 1/25/1-RR]

JASWANT RAI, Exe. Director, Estt. (GC)

Foot Note : Principal Rule No. G.S.R. 643(E) dated 13th October, 2006.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.